राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड

संयोजक : बैंक ऑफ इंडिया

54वीं एस एल बी सी बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 10.02.2016

स्थान – होटल रैडिसन ब्लू , रांची

54वीं झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
54th SLBC MEETING, JHARKHAND

54वीं झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 10.02.2016 को होटल रेडिसन ब्लू, रांची में किया गया । माननीय मुख्य मंत्री श्री रघुवर दास ने बैठक का शुभारंभ किया। व्यवसाय सत्र में बैठक की अध्यक्षता श्री अमित खरे, विकास आयुक्त सह प्रधान सचिव, योजना एवं वित्त विभाग, झारखंड सरकार ने किया। श्री मिहिर कुमार, निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्री एन.एन.सिन्हा, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास, झारखंड सरकार, श्री सुनील वर्णवाल, प्रधान सचिव, सूचना एवं प्राद्योगिकी, झारखंड सरकार, श्री सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव, स्वच्छता एवं पेय जल विभाग, झारखंड सरकार, श्री एम.के.वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना, श्री एस.मण्डल, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री पैट्रिक बारला, महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री एम.के. गुप्ता, महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड, अन्य सचिव, झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य स्थित बैंकों के नियंत्रक प्रमुख, झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक के अतिरिक्त अन्य अधिकारी उपस्थित थे (संलग्रक 1 में बैठक के प्रतिभागियों की सूची संलग्र)।

सभा के प्रारम्भ में श्री मृत्युंजय कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड ने माननीय मुख्य मंत्री श्री रघुवर दास का पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत किया। तत्पश्चात मंच पर उपस्थित समस्त गणमान्य अतिथियों का स्वागत विभिन्न बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों द्वारा पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया गया।

<u>स्वागत भाषण Welcome Address:</u>

सभा की औपचारिक शुरुआत श्री □□.के. गुप्ता, महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड ने अपने स्वागत भाषण से की। उन्होने मंचासीन सभी अतिथियों एवं सहभागियों का स्वागत किया। उन्होने माननीय मुख्य मंत्री श्री रघुवर दास जी को अपने व्यस्त कार्यक्रम के वावजूद सभा में उपस्थित होने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दिया। श्री गुप्ता जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी को आश्वस्त किया कि सभी बैंक झारखंड राज्य के विकास से संबन्धित गतिविधियों से गंभीरता से जुड़े हुए हैं एवं भविष्य में भी जुड़े रहेंगे। उन्होने बताया कि इस तिमाही के जो आंकड़े आए हैं वे काफी उत्साह वर्धक हैं तथा इस बात के द्योतक हैं कि बैंकों की सहभागिता से राज्य विकास की ओर उन्मुख है । राज्य का ऋण-जमा अनुपात **59.45%** है जो कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक **60%** से थोड़ा कम है। राज्य में कृषि ऋण का प्रतिशत कुल ऋण का **18.36%** हो गया है जो कि न्यूनतम मानक **18.00%** से अधिक है। कमजोर वर्गों को संवितरित ऋण का प्रतिशत न्यूनतम निर्धारित मानक **10%** की तुलना में **21.23%,** महिलाओं को संवितरित ऋण का प्रतिशत

21.34% है जो निर्धारित न्यूनतम मानक **5%** से काफी अधिक है। राज्य ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में **40%** के न्यूनतम मानक के विरुद्ध **53%** का लक्ष्य हासिल किया है। बैंकों ने **ACP 2015-16** में इस वित्तीय वर्ष में कुल रुपए **19662.84** करोड़ का ऋण संवितरित किया है जो कि वार्षिक लक्ष्य का **73.05%** है। इस प्रकार बैंक राज्य की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रगति के साथ साथ कुछ समस्याएँ भी आती हैं। हमारे राज्य के बैंकों के लिए **NPA** एक गंभीर समस्या है। पिछले मार्च, **2015** से लेकर दिसम्बर, **2015** तक एनपीए **5.59%** से बढ़ कर **6.07%** हो गया जो चिंता का विषय है। पिछले एक वर्ष में राज्य में **152** नयी बैंक शाखाएँ खोली गयीं जिनमें **105** शाखाएँ ग्रामीण या अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में खोली गयी हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के **5000** से अधिक की आबादी के गाँवों में **137** बैंक शाखाएँ खोलने का निर्णय लिया जा चुका है। ऐसे सभी ग्रामों को शाखाएँ खोलने के लिए विभिन्न बैंकों को आवंटित किया जा चुका है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार इस लक्ष्य की प्राप्ति मार्च, **2017** तक कर ली जाएगी। वार्षिक ऋण योजना में हमारी उपलब्धि इस वर्ष **73.03%** है जो कि पिछले वर्ष इस अवधि में **50%** थी। आंकड़े इस बात के द्योतक हैं कि बैंकों कि सहभागिता से राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होने कहा कि जो कुछ किया जा चुका है वह पर्याप्त नहीं है और अभी काफी कुछ करने कि आवश्यकता है। उनहोंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की ओर से विश्वास दिलाया कि राज्य के सभी बैंक राज्य की प्रगति के लिए उनसे वांछित अपेक्षाओं को पूरा करेंगे एवं विकास की गति बढ़ाएँगे। उनहोंने उम्मीद जताई कि इस बैठक में विकास के मुद्दों पर काफी सार्थक चर्चा होगी।

<u>श्री एम के वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक का संबोधन</u>

श्री एम के वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने **54**वीं बैठक के लिए सभी प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं दी एवं कहा कि एस एल बी सी, झारखंड के प्रयास काफी सराहनीय है। झारखंड राज्य का ऋण-जमा अनुपात लगभग **60%** है जो कि बिहार के ऋण-जमा अनुपात **44%** की तुलना में काफी अच्छा है। झारखंड राज्य ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक प्रतिशत से अधिक उपलब्धि हासिल की है, यह संतोष का विषय है। उन्होंने निम्न महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया :-

टिप्पणियां	बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
1) आरबीआई द्वारा एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए एमएसएमई क्षेत्र के मीडियम सैक्टर इंडस्ट्रीज, सोशल सैक्टर, **Renewable** ऊर्जा सेक्टर को भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की परिधि में लाया गया है। सभी बैंकों को इस नए प्रावधान को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई सैक्टर का वित्तपोषण करना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में ऋण-संवितरण के लिए निर्धारित न्यूनतम **60%** के मानक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।	सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुख इस क्षेत्र में की गई प्रगति की निरंतर समीक्षा करें। एमएसएमई सैक्टर में वित्तपोषण हेतु इस क्षेत्र की बुनियादी जरूरतों को समझने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी शाखा प्रबन्धकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए एवं उनके दृष्टिकोण में बदलाव लाने की आवश्यकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए **4500** अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की ज़िम्मेदारी ली है।	समस्त बैंक
2) झारखंड एक **mono cropping** प्रदेश है। इसलिए कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए दीर्घकालीन पूँजी निवेश की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य में सीएनटी एवं एसपीटी एक्ट में बदलाव करने की जरूरत है।	सी एन टी एक्ट एवं एस पी टी एक्ट में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता है, जिससे किसान अपने भूमि को बंधक रख कर बैंको से दीर्घकालीन ऋण ले सकें।	**राज्य सरकार**

3) वित्तीय समावेशन योजना के तहत सुदूर ग्रामीण लोगों को बैंकिग सेवाएं प्रदान करने के लिए वह गाँव जिसकी आबादी 5000 से अधिक है एवं जहाँ अभी भी कोई बैंकिंग शाखा नहीं है, वहां ब्रिक मोर्टार शाखा खोलने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। सभी शाखाएँ विभिन्न बैंकों को आवंटित की जा चुकी हैं। इस प्रक्रिया को मार्च, 2017 तक हर हाल में पूरा करना है।	नयी बैंक शाखाएँ खोलने की प्रक्रिया 31.03.2017 तक हर हाल में पूरी करनी है। सभी बैंक इसे उच्च प्राथमिकता देते हुए समय से पहले सभी आवंटित शाखाओं का खुलना सुनिश्चित करें।	समस्त बैंक
4) पीएमजेडीवाई अंतर्गत खुले बचत खातों में जारी सभी रुपे कार्ड का वितरण एवं एक्टिवेशन सुनिशित किया जाय।	बैंको को इस के लिए विशेष प्रयास एवं विशेष अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है।	समस्त बैंक
5) राज्य में एन पी ए की हालत बहुत दयनीय है। इसका प्रतिशत लगभग 6.07%है (जिसमे write off, stressed assets एवं restructured खाते शामिल नहीं है। यदि इसमें इन्हें भी जोड़ दिया जाय तो यह आंकड़ा 12% तक पहुँच सकता है।) इस पर तुरंत रोक लगाने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। इसके लिए खातों की सघन मानीटरिंग, फॉलो अप,due diligence आदि की आवश्यकता है।	NPA की वृद्धि को रोकने के लिए सभी बैंकों से अधिकतम प्रयास अपेक्षित है। इसमें राज्य सरकार से सहयोग भी लिया जाना चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।	सभी बैंक एवं झारखण्ड सरकार
6) राज्य में काफ़ी अधिक सर्टिफिकेट केस लंबित है। सर्टिफिकेट केस के अंतर्गत वसूली एवं केसों के निपटारे की संख्या नगण्य है। उचित वसूली के लिए जिला स्तर पर समर्पित सर्टिफिकेट अधिकारी की बहाली की जाए	उचित वसूली के लिए जिला स्तर पर समर्पित सर्टिफिकेट अधिकारी की बहाली अभी भी सुनिश्चित नहीं हो पाई है, झारखण्ड सरकार द्वारा अविलम्ब इसे सुनिश्चित किया जाए|	
7) राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो गृह ऋण हेतु मैप स्वीकृत कर सके| प्रस्तावित पंचायती राज अधिनियम में भी कोई परिवर्तन की पहल नहीं की गई है एवं यह मुद्दा काफ़ी दिनों से राज्य सरकार के पास लंबित है।	ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्वीकृत अधिकारी	झारखण्ड सरकार

	का होना अत्यंत आवश्यक है।	झारखण्ड सरकार
8) राज्य सरकार को अपने नकदी प्रबंधन के लिए इलेक्ट्रौनिक माध्यमों का प्रयोग बढ़ाना चाहिए।राज्य सरकार को ई-कुबेर प्रोजेक्ट को अपनाना चाहिये।		राज्य सरकार

श्री अमित खरे, विकास आयुक्त सह प्रधान सचिव, आयोजना एवं वित्त विभाग, झारखंड सरकार का संबोधन

श्री अमित खरे, विकास आयुक्त सह प्रधान सचिव, आयोजना एवं वित्त विभाग, झारखंड सरकार, ने **__54वीं बैठक में उपस्थित माननीय मुख्य मंत्री श्री रघुबर दास एवं सभी सहभागियों का स्वागत किया।उन्होने अपने तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक श्री एम के गुप्ता जी की ओर से माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा अपनी अपरिहार्य व्यस्तताओं के वावजूद इस सभा के लिए समय निकालने हेतु उनका विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होने बताया कि राज्य सरकार के आठ महत्वपूर्ण विभागों के सचिव इस सभा में उपस्थित हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार राज्य के त्वरित विकास हेतु बैंकों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री की अवधारणा है कि राज्य के विकास के लिए केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं का लाभ बैंकों की सहभागिता से उठाना चाहिए। राज्य के विकास के लिए नाबार्ड की योजनाओं को भी आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होनें अपना संक्षिप्त सम्बोधन करते हुए एजेंडा वार सभी मुद्दों पर विस्तृत बहस करने की मंसा व्यक्त की।उन्होंने अपने संक्षिप्त सम्बोधन में निम्न महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया :-**

टिप्पणियां	बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है

1) सभी बैंकों को कौशल विकास के लिए राज्य सरकार के साथ मिल कर काम करना चाहिए। कृषि क्षेत्र के विकास के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। दुमका में आयोजित मेगा शिविर अभियान के तहत मुद्रा योजना में बैंकों का प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा था। मुद्रा योजना की सफलता के लिए सभी बैंकों को उसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।		**राज्य सरकार/समस्त बैंक**
2) राज्य के कुछ जिलों में ऋण-जमा अनुपात काफी कम है। राज्य सरकार ने इसमें गुणात्मक सुधार के लिए एक आवधिक समीक्षा प्रणाली शुरू की है। इसके लिए राज्य मुख्यालय में राज्य के उच्च अधिकारियों, एसएलबीसी के महाप्रबंधक,रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाके महाप्रबंधक,नाबार्ड के महाप्रबंधक एवं बैंक के उच्चाधिकारियों तथा ज़िला स्तर पर डीसी,डीडीसी,एलडीएम ,डीडीएम नाबार्ड के साथ संयुक्त वीसी कॉन्फ्रेंसिंग में ज़िले की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।		**राज्य सरकार**

माननीय श्री रघुवर दास, मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार का संबोधन

माननीय मुख्य मंत्री श्री रघुवर दास जी ने एसएलबीसी की **54वीं बैठक में उपस्थित सभी मंचासीन विशिष्ट अतिथियों, राज्य सरकार तथा बैंकों के उच्च अधिकारियों एवं अन्य सहभागियों का स्वागत किया। उन्होनें कहा कि किसी भी राज्य अथवा देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होनें सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों को वित्तपोषण के लिए निर्धारित न्यूनतम उपलब्धि से अधिक का लक्ष्य राज्य के बैंकों द्वारा प्राप्त करने पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होनें भी राज्य के बैंकों के बढ़ते NPA पर चिंता प्रकट की तथा राज्य की ओर से हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। बैंकों के NPA को कम करने के लिए वे भी व्यक्तिगत रूप से सभी पक्षों से अपील करेंगे। राज्य सरकार सामाजिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि योजनाओं का लाभ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना चाहती है। इसके लिए सभी ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं का होना अनिवार्य है। उन्होनें सभी बैंकों से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक बैंक शाखाएँ खोलने की अपील की। उन्होनें बैंक मित्रों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर ज़ोर दिया। उन्होनें बताया की हम 2016-17 के बजट में कृषि के लिए अलग से बजट ले कर आ रहे हैं क्योंकि कोइ भी राज्य केवल शहरों के विकास से विकसित नहीं हो सकता। इसके लिए गाँव का विकास सर्वोपरि है। गावों के विकास के लिए जल संचय बहुत जरूरी है।इसको देखते हुए राज्य सरकार ने जल संचय को अपनी प्राथमिकता के कार्यों में रखा है। इसके लिए योजना बनाओ अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में जल संचय से संबन्धित योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। इसमें बैंकों का सहयोग अपेक्षित है। बैंकों को केसीसी कार्ड वितरण के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। इससे कृषकों के विकास में मदद मिलेगी। चूंकि सभी लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पित मुद्रा योजना का लाभ अधिकतम निर्धन लोंगों तक पहुँचाकर उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए बैंकों से अपील की। मुद्रा योजना में दुमका कैंप के दौरान सभी बैंकों ने अच्छे काम किए। इसे पुनः उसी लगन के साथ करने की जरूरत है। इधर हाल के दिनों में मुद्रा योजना से संबन्धित कुछ शिकायतें मिल रही हैं कि बैंकों द्वारा लोगों को यह कहा जा रहा है कि मुद्रा ऋण योजना बंद हो गयी है या इसे देने में बैंक उत्सुकता नहीं दिखा रहें हैं, यह पीड़ादायक है। इससे बैंकों की छवि खराब हो रही है।बैंकों को इस प्रवृति पर रोक लगा कर मुद्रा योजना की सफलता तथा राज्य के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होनें प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खोले गए सभी खातों में पासबुक उपलब्ध कराने तथा जारी रुपे कार्ड को वितरित करने एवं एक्टिवेट करने को कहा। सभी बैंकों को जनधन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। राज्य सरकार ने बैंकों की मांग पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड आदि को उनके**

कार्यालय निर्माण हेतु भूमि आवंटित कर दी है। अतः उन सभी को जिन्हें भूमि आवंटित हो चुकी है, तुरंत निर्माण कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिए तथा निर्माण कार्य पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।ऐसा न होने से हम उस भूमि का उपयोग किसी दूसरे कार्य के लिए करेंगे।

झारखंड राज्य खनिज सम्पदा से भरपूर राज्य है फिर भी यहाँ के लोग काफी गरीब हैं।। यह एक आदिवासी बहुल प्रदेश है और यहाँ के आदिवासी बहुत ही गरीब हैं। राज्य में सीएनटी एवं एसपीटी एक्ट लागू है जिसके चलते आदिवासी अपनी भूमि को बंधक रख कर होम लोन या व्यावसायिक ऋण बैंकों से प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। सरकार इस एक्ट में संशोधन के लिए कार्य कर रही है। परंतु चार लाख तक के शिक्षा ऋण के लिए किसी गारंटी या प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए सभी बैंकों को सभी योग्य आदिवासी छात्रों को 4 लाख तक के शिक्षा ऋण देकर उनकी मदद करनी चाहिए।इसके लिए बैंकों को आदिवासी छात्रों को इस योजना के तहत एक अभियान चला कर लाभान्वित करना चाहिए। राज्य सरकार के कानून-व्यवस्था में गुणात्मक सुधार करने के लिए कृत संकल्प है। इससे बैंकों को भी लाभ होगा। बैंकों को भी गरीबों के लिए रोजगार उन्मुख योजनाओं को लागू कर राज्य के विकास में एक सहभागी की भूमिका निभानी चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री ने उम्मीद जताई की एसएलबीसी की बैठक में सभी मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी।

श्री मिहिर कुमार, निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का संबोधन

□□□□ मिहिर कुमार, निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने मंचासीन गणमान्य अतिथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं नाबार्ड के उच्चाधिकारियों, सभी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं झारखंड सरकार के उपस्थित सभी उच्च पदाधिकारियों का 54वीं बैठक में स्वागत किया । उन्होंने कहा कि अब तक पीएमजेडीवाई,पीएमएमवाई आदि योजनाओं में राज्य की प्रगति संतोषजनक रही है परंतु हम अभी भी अपने लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं,विशेष कर प्रधान मंत्री मुद्रा योजना में। उन्होनें इस विषय पर बैठक के दौरान विस्तृत चर्चा करने की बात कही। अपने संक्षिप्त सम्बोधन में उन्होने मुख्यतः निम्नांकित विंदुओं पर ध्यान आकर्षित कर इस पर कार्यवाही करने की सलाह दी:

टिप्पणियां	बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
1) उन्होनें राज्य के बढ़ती NPA पर चिंता जाहिर की। उन्होनें कहा कि जब भी हम ऋण देते हैं तो NPA की संभावना होती है, परंतु ऋण देने से पहले ऋणी की सही पहचान कर इस समस्या को काफी कम किया जा सकता है। इसके लिए due diligence पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य सरकार को भी एनपीए ऋण कि वसूली में सहयोग करना चाहिए।		समस्त बैंक/राज्य सरकार
2) देश में स्व-रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भारत सरकार Stand Up India नामक एक नयी योजना लेकर आ रही है। इसके अंतर्गत SC/ST/Women Enterprneur को 10 लाख से लेकर एक करोड़ तक के ऋण मुहैया कराने का प्रावधान होगा। इससे इस आदिवासी बहुल प्रदेश के आदिवासियों को काफी लाभ		समस्त बैंक

होगा। हम कह सकते हैं कि प्रधान मंत्री मुद्रा योजना की जहां समाप्ति होती है वहीं से **Stand Up India** योजना की शुरुआत होती है। **3) NPA** होने की भविष्य की संभावनाओं के मद्देनजर कोई बैंक या शाखा उधर देना बंद नहीं कर सकती। इसके लिए सभी एहतियात रखते हुए हमें उधार देने की प्रक्रिया को सतत जारी रखने की आवश्यकता है। इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रहीं हैं कि बैंक मुद्रा ऋण देने में उदासीनता बरत रहें हैं तथा बिना कारण बताए ऋण आवेदनों को या तो लंबित रख रहे हैं या वापस लौटा रहे हैं। यह स्थिति नियम के विरुद्ध है तथा व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी आकर्षित करती है। इसलिए ऐसी शिकायतों का निदान त्वरित रूप से करने के लिए सभी बैंकों को एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है।		समस्त बैंक

<u>श्री एस के मंडल, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, राँची का संबोधन</u>

श्री एस मंडल, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने 54वीं बैठक में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री, मंचासीन सरकार के उच्च पदाधिकारियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक एवं सभी सहभागी बैंकर्स का स्वागत किया।उन्होनें कहा कि झारखंड राज्य में नाबार्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,एसएलबीसी एवं झारखंड सरकार राज्य के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक जुट हो कर कार्य कर रहे हैं। इस बार सभी उप समितियों की बैठकें समय पर पूरी कर ली गयी हैं। उन्होंने निम्न विन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया :-

टिप्पणियां	बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
1) हाल के दिनों में झारखंड सरकार के मत्स्य विभाग के पहल पर नाबार्ड तथा सभी बैंकों के साथ मिल कर राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक **Exposure Visit** का आयोजन किया गया था। इस दौरान विभिन्न बैंकों के उच्च पदाधिकारियों ने चांडिल डैम में केज कल्चर के जरिये हो रहे मत्स्य उत्पादन की बारीकियों एवं प्रक्रियायों का अध्ययन किया तथा इस संबंध में बैंकों द्वारा ऋण मुहैया कराने की संभावनाओं पर चर्चा की। इसके लिए जेएलजी मोड में ऋण संवितरण		समस्त बैंक

की संभावनाओं को तलाशने पर बल दिया गया। **2) कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण समय की मांग है तथा इसके लिए बैंकों को दीर्घकालीन कृषि ऋण के संवितरण पर बल देना चाहिए।**		**समस्त बैंक**
3) एसएचजी लिंकेज कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए सभी बैंकों को सतत प्रयास करते रहना चाहिए तथा इसके लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। नाबार्ड द्वारा सभी बैंकों की शाखाओं में SHGs के आवेदन स्वीकृति के लिए जमा किया गए हैं। सभी शाखाओं को इनका त्वरित निष्पादन करना चाहिए।		**समस्त बैंक/नाबार्ड**
4) राज्य में बुनकरों के उत्थान के लिए सभी बैंकों द्वारा बुनकर क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने हैं। इसके तहत पूरे राज्य में 3500 क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकवार लक्ष्य निर्धारित किए जा चुके हैं। सभी बैंकों को निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए।		**समस्त बैंक**
5) जिलावार AREA BASED BANKING PLAN बना कर मछली पालन/ गाय पालन / सूअर पालन / सब्जी उत्पादन इत्यादि क्षेत्रों के वित्त संपोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए जेएलजी का चयन उपयोगी साबित हो सकता है। **6) जिन जिलों में ऋण-जमा अनुपात 30% से कम है वहाँ सभी बैंको को एक विशेष action plan बना कर कार्य करना चाहिए ताकि इसमें गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सके।**	जिला स्तर पर LDM एवं DDM नाबार्ड के द्वारा सभी बैंक, राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित कर, **AREA BASED BANKING PLAN को DLCC से अनुमोदन के उपरांत कार्यशील किया जाय।**	**राज्य सरकार, अग्रणी जिला कार्यालय/DLCC एवं समस्त बैंक** **समस्त बैंक**

Buisness Session

एसएलबीसी के महाप्रबंधक श्री मृत्युंजय कुमार गुप्ता ने झारखंड सरकार के विकास आयुक्त सह प्रधान सचिव, आयोजना एवं वित्त विभाग, श्री अमित खरे से व्यवसाय सत्र की अध्यक्षता करने का अनुरोध किया। श्री खरे ने इसपर अपनी स्वीकृति जताई तथा एजेंडावार सभा की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की।

अध्यक्ष के आदेशानुसार श्री अंजन मैत्रा, मुख्य प्रबंधक, एसएलबीसी, झारखंड ने बैठक को सूचित किया कि दिनांक 09 नवम्बर ,2015 को आयोजित 53 वीं एस एल बी सी बैठक के कार्यवृत्त सभी संबंधित कार्यालयों को संप्रेषित किए गए हैं| सभा के द्वारा उपर्युक्त बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है क्योंकि इस संबंध में संशोधन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नही हुआ है। अतः सर्वसम्मत्ति से उक्त बैठक के कार्यवृत्त के पारित होने की पुष्टि बैठक द्वारा कर दी गयी।

तत्पश्चात् श्री मैत्रा ने एस एल बी सी की 54 वीं बैठक में चर्चा किए जाने वाले विन्दुओं को क्रमवार प्रस्तुत किया।

विषय	**बर्तमान स्थिति**	**जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है**
<u>कार्य सूची सं-2</u> भूमि अभिलेखों का अद्यतन**(Updation)** और टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक संशोधन (एस पी टी एवं सी एन टी अधिनियम) राज्य सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों का अद्यतन करना एवं टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक परिवर्तन करना प्रस्तावित था जिससे कि, **1.** किसानों के द्वारा कृषि ऋण के आवेदन देते समय वे भूमि अभिलेख , जो की **R.B.I** के नियमों के तहत अनिवार्य है , बैंकों को उपलब्ध करा सके| **2.** राज्य के किसान एवं उद्यमी भूमि को कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक में रख कर कृषि, **MSE,**शिक्षा एवं आवास ऋण प्राप्त कर सके।	(a) 13 जिलों मे भूमि अभिलेख का डिजिटिकरण(अद्यतन के बिना)का कार्य JSAC द्वारा शुरू हो चुका है। शेष जिलों में कंप्यूटरीकरण का कार्य जिला स्तर पर कराया जा रहा है | (b)अभी तक 87 अंचल ओंन-लाइन हो चूका है ।प्रथम चरण के 13 जिलों में से मात्र 12 जिला यथा: रांची,बोकारो,हजारीबाग,लोहरदगा, रामगढ, दुमका, खूंटी,गुमला,धनबाद,सरायकेला-खरसावाँ, पूर्व एवं पश्चिमी सिंहभुम तथा दूसरे चरण में 11 जिलों में से मात्र 4 जिलें यथा गिरिडीह,चतरा,लातेहार एवं सिमडेगा के कुल 87 ओंन-लाइन अंचलों के कुल 61 अंचलों में ओंन-लाइन म्युटेशन प्रारंभ किया गया है | (c) छोटानागपुर एवं संथाल परगना अंचलों में SC/ST/OBC आवेदकों की भूमि बंधक रखकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46 एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम,1949 की धारा-20 में संशोधन हेतु श्री नीलकंठ सिंह मुंडा, माननीय ग्रामीण विकाश मंत्री के अध्यक्षता में झारखण्ड जनजातीय परामर्शदाता परिषद का एक उपसमिति का गठन किया गया है |उप समिति की अनुशंसा अप्राप्त है , अनुशंसा प्राप्त होने पर विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी |	सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि डिजिटिकरण का कार्य दिसम्बर,2016 तक पूरा कर लिया जाएगा।

<u>पी डी आर अधिनियम में संशोधन</u>– राज्य सरकार के द्वारा ,एम पी और यू पी रिकवरी अधिनियम के तर्ज पर, जरुरी संशोधन करने का प्रस्ताव था , जिस के अनुसार बैंकों के द्वारा upfront कोर्ट फीस का भुगतान न कर , रिकवरी की राशि से ही कोर्ट फी का भुगतान करना था एवं रिकवरी अधिकारी को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का संशोधित प्राबधान लागू करने का प्रस्ताव था।	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा (झारखण्ड सरकारअधिसूचना संख्या 127 दिनांक 16.02.2013 के तहत 25% कोर्ट फीस काअपफ्रॉन्टभुगतान, एवं शेष 75% का Case निष्पादन के बाद भुगतान करने के लिए अधिनियम की धारा 5 में बदलाव किया है,जो प्रस्ताव से भिन्न है| **<u>कुछ जिलों में उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार कार्रवाई नही हो रही थी। प्रधान सचिव , योजना एवं वित्त भाग ,झारखण्ड सरकार</u>** **<u>के द्वारा सभी जिला के उपायुक्तों को उपर्युक्त गजट अधिसूचना का अनुपालन हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए जा चुके हैं|</u>**	प्रधान सचिव, योजना एवं वित्त विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा सभी ज़िला के उपायुक्तों को उपर्युक्त गज़ट अधिसूचना के अनुपालन हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए जा चुके हैं।
" बिहार मनी लेन्डर एक्ट 1974 एवं नियम " जो झारखण्ड में लागू है, में संशोधन **46वें बैठक में तय समय सीमा – 01 माह बिहार में लागू अधिनियम की प्रति झारखण्ड सरकार को समिति द्वारा प्रदान किया गया है।**	RBI की तकनीकी ग्रुप की अनुशंसा के आधार पर Advocate General से परामर्श लिया गया, जिसमे उन्होंने एक Expert Panel जिनकी इस विषय पर expertise प्राप्त हो, का गठन का परामर्श दिया है| उक्त परामर्श के आलोक में कार्यवाही, झारखण्ड सरकारद्वारा विचाराधीन है |	सभाध्यक्ष श्री अमित खरे ने प्रस्तावित Expert Panel में RBI तथा SLBC के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की सलाह दी जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।
राज्य के सभी जिलों में, बैंकों में बकाया राशि की वसूली हेतु समर्पित वसूली अधिकारी (Dedicated Certficate Officer) को बहाल किया जाना |	Dedicated Certificate Officer के रूप में अवकाश प्राप्त अधिकारीयों की नियुक्ति हेतु "लोक मांग वसूलीअधिनियम विधेयक" 2015को विधान सभा द्वारा पारित कर दिय गया है, जिसके उपरांत लोक वसूली अधिनियम 1914 में संशोधन हेतु माननीय राष्ट्रपति की सहमति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है |	राज्य सरकार द्वारा संशोधित अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रेषित।
राज्य में बैंक के खजाने का रक्षा एवं सुरक्षा व्यवस्था **46वें बैठक में तय की गई समय सीमा – 02 माह**	इस विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना एवं राज्य सरकार के सुरक्षा समिति के साथ बैठक भी हुई, जिसमें RBI के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि एसआईएसएफ के सुरक्षाकर्मियों कोCURRENCY CHEST में तैनाती होनी है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में दीए गए शर्तों को लागू कर पाना बैंकों के लिए कठिन और महंगा है।राज्य सरकार द्वारा इस मुद्दे पर व्यावहारिक निर्णय लेने का आश्वासन दियागया है,SLBC, सुरक्षा उप-समिति की बैठक में प्रधान सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड सरकार,ने उपरोक्त विषय पर बताया कि जो भी वित्तीय जरुरत होगी उसपर पुनः विचार किया जायेगा .	रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री एम के वर्मा ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि इस समस्या के समाधान के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने कि जरूरत है।अन्य राज्यों में भी SIS अपनी सेवाएँ प्रदान कर रही है। सरकार की ओर से सकारात्मक आश्वासन दिया गया तथा समस्या को जल्द सुलझाने कि बात कही गयी। **कार्यवाही अपेक्षित: राज्य सरकार**
आरसेटी हेतु भूमि का आवंटन .	• **सभी जिलों में भूमि आवंटित कर दी गई है |** • **निम्नलिखित जिलों में RSETI भवन निर्माण का कार्य आवंटित बैंकों के द्वारा प्रारंभ नही किया गया ,** **a. SBI –**	**समिति कि बैठक में RSETI भवनों के निर्माण में हो रही देरी पर काफी नाराजगी जताई गयी। राज्य सरकार की ओर से प्रधान सचिव श्री एन एन सिन्हा ने भारतीय**

	गढ़वा,लातेहार,पलामू,साहिबगंज **b. Canara बैंक – सिल्ली** **c. PNB – सराइकेला** • **रामगढ जिला में आवंटित भूमि आवंटित बैंक PNB के द्वारा अनुपयुक्त पाया गया।**	**स्टेट बैंक के आंचलिक प्रबन्धक को बताया कि राज्य सरकार की ओर से भूमि आवंटन की सभी प्रक्रियाएँ पूरी कर दी गयी हैं। राज्य सरकार इस मुद्दे को काफी गंभीरता से ले रही है तथा इसमें कोई भी विलंब स्वीकार्य नहीं है। विशेष कर स्टेट बैंक की ओर से काफी विलंब किया जा रहा है। इस मुद्दे पर विचार करने के बाद समिति ने निर्णय लिया कि सभी बैंकों को RSETI के भवन का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। स्टेट बैंक को 15 दिन के अंदर इसकी सूचना देनी चाहिए।कैनारा बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक को भी कृत कारवाई से समिति को सूचना देने का निर्णय लिया गया। सभी एलडीएम को DC से मिल कर तुरंत समाधान निकालने की आवश्यकता है। ऐसा न होने पर अध्यक्ष ने इस मुद्दे को आगे के स्तर तक ले जाने की बात कही ।**
नगरपालिका प्राधिकार क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में भवन निर्माण के अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी की घोषणा हेतु अधिसूचना।	योजना एवं विकास विभाग के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।समिति ने यह रिपोर्ट दिया है कि झारखण्ड पंचायतीराज अधिनियम पंचायती राज संस्थानों को बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन की अनुमति नहीं देता है। ।ड्राफ्ट उपविधियां तैयार होने की प्रक्रिया में है। श्री एम के वर्मा , क्षेत्रीय निदेशक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ने इस दिशा में राज्य सरकार से त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया ताकि ग्रामीण इलाकों में बैंकों द्वारा आवास ऋण दिया जा सके। राज्य सरकार की ओर से सकारात्मक आश्वासन दिया गया तथा यह स्पष्ट किया गया कि वर्तमान में ग्राम पंचायत को उनके क्षेत्र के सभी आवासीय तथा व्यावसायिक भवनों के नक्शों के अनुमोदन का अधिकार सरकार द्वारा दिया जा चुका है। इस संबंध में पंचायतों द्वारा अनुमोदन किए जाने वाले भवनों के क्षेत्रफल से संबन्धित नियमों के उपबंधों का जोड़ा जाना बाकी है। इस प्रक्रिया को जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा।	राज्य सरकार
रांची में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र	झारखंड सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व	राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड

के बैंकों के नियंत्रण कार्यालय, एसएलबीसी, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के लिए उपयुक्त भूमि का आवंटन।	बैंक व नाबार्ड के कार्यालयों हेतु भूमि आवंटित की गयी है | झारखंड सरकार के द्वारा, उपायुक्त , रांची को,SLBC व BOI को संयुक्त प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने का आदेश पारित किया गया है पर इससे संबन्धित अद्यतन सूचना अप्राप्त है |	तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया। राज्य सरकार से अन्य बैंकों को भी यथा शीघ्र भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।
कई जिलों के उपायुक्त कार्यालयों से , बैंकों को SARFAESI एक्ट के तहत प्रशासनिक अनुमति प्राप्त होने में असामान्य विलम्ब हो रहा है,झारखण्ड सरकार से आग्रह है कि सभी जिला-प्रशासन को उपयुक्त दिशानिर्देश दिया जाय।	योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा सभी जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक दिशानिर्देश भेजा जा चुका है |	सभी बैंक संबन्धित ज़िले के उपायुक्त से समन्वय स्थापित कर ऋण वसूली के लिए त्वरित कार्रवाई करें।
झारखण्ड सरकार से आग्रह है की बैंकों से वित्त-पोषित एवं HYPOTHECTED सभी व्यावसायिक वाहनों के परमिट (PERMIT) नवीकरण के समय,संवंधित बैंकों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करने को आवश्यक बनाया जाय,इससे बैंकों के ऋण खातों में रिकवरी में सहायता मिलेगी |	योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा, सचिव ,परिवहन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशानिर्देश दिया जा चुका है तथा परिवहन सचिव द्वरा जिला स्तर पर भी दिशानिर्देश जारी कर दिये गये हैं| अधिसूचना की प्रति सभी बैंकों को एसएलबीसी द्वारा संप्रेषित की जा चुकी है। राज्य सरकार के इस कार्य के लिए एसएलबीसी के महा प्रबंधक श्री मृत्युंजय कुमार गुप्ता ने सभी बैंकों की ओर से सरकार का आभार प्रकट किया तथा उम्मीद जताई कि सभी बैंक इस नए प्रावधान का लाभ उठायेंगे।	समस्त बैंक

<u>बैंक से संबधित मामले **Issues Pertaining To Banks**</u>

विषय	बर्तमान स्थिति	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है

आरसेटी भवन का निर्माण कार्य बीओआई, भारतीय स्टेटबैंक, इलाहाबाद बैंक, पीएनबी, केनरा बैंक द्वारा शुरू नही किया गया है। संलग्नक सं. में लम्बित विवरणी संलग्न है।	• निम्नलिखित जिलों में RSETI भवन निर्माण का कार्य आवंटित बैंकों के द्वारा प्रारंभ नही किया गया , a. SBI – गढ़वा,लातेहार,पलामू, साहिबगंज b. Canara बैंक – सिल्ली c. PNB – सराइकेला रामगढ जिलामें आवंटित भूमि आवंटित बैंक PNB के द्वारा अनुपयुक्त पाया गया .	समिति ने हो रहे विलंब पर काफी नाराजगी दिखाई। समिति ने SBI, Canara Bank तथा PNB को गंभीरता दिखते हुए RSETI के निर्माण को एक निश्चित समय सीमा निर्धारित कर पूरा करने के निर्देश दिये।
RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त CANDIDATES का बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाना |	बैंकों के द्वारा ऐसे कुल 2769 प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को ही ऋण उपलब्ध करवाया जा सका है।राज्य सरकार के प्रधान सचिव श्री एन एन सिन्हा ने इस पर असंतोष व्यक्त किया ।उन्होनें बताया कि यह कुल उम्मीदवारों का मात्र 17% है जो कि काफी कम है।ज़िलावार इसका प्रतिशत भी संतोष जनक नहीं है।इसमें सभी एलडीएम को भी रुचि लेने की जरूरत है ताकि कम से कम 50% लोगों को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। श्रम विभाग, झारखंड सरकार के श्री एम एस भाटिया ने बताया कि राज्य में कौशल विकास के लिए एक ज़िला स्तर पर एक समिति का गठन प्रस्तावित है जो ज़िले की नोडल एजेंसी का भी कार्य करेगी। इसमें एलडीएम, RSETI के निदेशक को भी शामिल किया जाएगा।इसमें सभी संबन्धित पक्षों से समन्वय स्थापित कर कौशल विकास के कार्य को गति प्रदान की जाएगी।इससे संबन्धित जानकारी हम जल्द ही उपलब्ध करा देंगे।	समस्त बैंक/ सभी एलडीएम/राज्य सरकार

विषय	**बर्तमान स्थिति**	**जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है**
कार्य सूची संख्या-3 **सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के महत्वपूर्ण संकेतक**	श्री मृत्युंजय कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक, SLBC ने बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागिओं के ज्ञातार्थ बताया कि प्रस्तुत किए गए आंकड़ों में Indusind बैंक का आंकड़ा सम्मिलित नहीं किया जा सका है , क्योंकि उनके द्वारा निर्धारित समय से आंकड़ा उपलब्ध नही कराया गया |इस पर सभी प्रतिभागियों द्वारा गहरी चिंता व्यक्त की गयी एवं यह निर्णय लिया गया की RBI के द्वारा इस मुद्दे को Indusind बैंक के प्रधान कार्यालय के समक्ष उठाया जाएगा।	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

जमा,क्रेडिट, एवं ऋण-जमा अनुपात	राज्य के बैंकों के जमा स्तर में उत्तरोतर वृद्धि दर्ज की जा रही है तथा इस तिमाही में वर्ष दर वर्ष 11.93% की वृद्धि हुई है। ऋण संवितरण के स्तर में भी 8% की वृद्धि दर्ज हुई है। राज्य का ऋण-जमा अनुपात इस तिमाही में 59.45% दर्ज किया गया है जो कि न्यूनतम निर्धारित मानक 60% के लगभग है। इसमें लगभग 1% कि कमी दर्ज की गयी है। इसका मूल कारण बैंकों की जमा राशि में वृद्धि है। चर्चा के दौरान इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा राज्य में ऋण संवितरण की मात्रा को बढ़ाने पर बल दिया गया।	समस्त बैंक
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को MSE ऋण में सूक्ष्म इकाईयों के तहत कम से कम 60% ऋण संवितरण का लक्ष्य हासिल करना है।	आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक श्री एम के वर्मा ने बताया कि लगभग 50% लक्ष्य की ही प्राप्ति हुई है।कुछ बैंकों ने 60% से अधिक का लक्ष्य प्राप्त किया है परंतु अधिकांश बैंकों ने इससे काफी कम की उपलब्धि हासिल की है। यह स्थिति असंतोषप्रद है तथा इस पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।	समस्त बैंक
ऋण-जमा अनुपात के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति	झारखंड में बैंकों के ऋण जमा अनुपात में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। यह लगभग 60% के स्तर पर स्थिर सी हो गयी है। यह राज्य की प्रगति के कमतर होने के कारणों में एक है।कुछ जिलों में तो इसका स्तर 40% से भी कम है। समिति ने उन सभी बैंकों से जिनका ऋण- जमा अनुपात 30% से कम है,एक सुदृढ़ कार्य-योजना बना कर इस दिशा में प्रयास करने का आग्रह किया ताकि मार्च, 2016 तक ऋण- जमा अनुपात में गुणात्मक बढ़ोतरी हो सके। इस पर सभी बैंक-प्रमुखों ने अपनी सहमति जताई। इसके लिए एलडीएम एवं अन्य से चर्चा के पश्चात ऐसे पाँच जिलों (देवघर, चतरा, गुमला,सिमडेगा तथा प॰सिंहभूम) जहां CD अनुपात 30% से कम है, के विशेष आवधिक समीक्षा की व्यवस्था दी गयी। इसके लिए एक Monitorable Action Plan के जरिये आवधिक प्रगति पर नजर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके तहत एक नियमित संयुक्त VC कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राज्य मुख्यालय तथा ज़िला मुख्यालय स्तर पर सभी सम्बद्ध अधिकारियों के साथ मिल कर समीक्षा करने का प्रस्ताव पारित किया गया। नाबार्ड के महाप्रबंधक ने JLG के तहत dairy,fisheries इत्यादि कार्यकलापों के जरिये अधिक से अधिक ऋण संवितरण पर ज़ोर दिया। झारखंड सरकार के कृषि सचिव श्री कुलकर्णी ने भी कृषि क्षेत्र में ऋण के संवितरण के लिए कहा।उन्होने कहा कि अधिक से अधिक KCC ऋण किसानों के बीच संवितरित करने की आवश्यकता है। झारखंड के सरकार ग्रामीण विभाग के प्रधान सचिव श्री एन एन सिन्हा ने सुझाव दिया की DLCC की बैठकों में बैंकों के उच्च अधिकारियों को भी शिरकत करना चाहिए ताकि योजना कार्यान्वयनमें तेजी आ सके। श्री सिन्हा ने	सभी बैंक/राज्य सरकार/एसएलबीसी

	कृषि क्षेत्र में पम्प सेट, वाटरशेड प्रोजेक्ट, कुआं,एसएचजी आदि के लिए ऋण संवितरण पर ज़ोर दिया तथा कहा कि इससे भी CD Ratio बढ़ाया जा सकता है। RBI के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री एम के वर्मा ने वर्ष दर वर्ष कम से कम 15% क्रेडिट बढ़ोतरी की सलाह दी।	
कृषि ऋण	कृषि ऋण में दिसम्बर,2015 को समाप्त तिमाही को वर्ष दर वर्ष 10.46% की वृद्धि दर्ज की गयी है। राज्य में कृषि ऋण का प्रतिशत कुल ऋण का 18.36% है जो कि न्यूनतम निर्धारित मानक 18% से अधिक है।	
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	इस क्षेत्र में 53.20% की उपलब्धि हासिल की गयी है जो कि न्यूनतम निर्धारित मानक 40% से अधिक है। श्री अमित खरे,विकास आयुक्त सह प्रधान सचिव, झारखंड सरकार ने इंगित किया कि अल्पसंख्यकों को प्रदत्त ऋण राशि में हल्की कमी दर्ज की गयी है जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है।	सभी बैंक
कमजोर वर्ग एवं महिलाओं को प्रदत्त ऋण	इस वर्ग के ऋणियों को संवितरित ऋण के प्रतिशत में वृद्धि हुई है तथा राज्य ने न्यूनतम निर्धारित मानक प्रतिशत से ज्यादा की उपलब्धि हासिल की है।	
NPA	राज्य में बैंकों के बढ़ते एनपीए पर समिति ने काफी चिंता व्यक्त की। इस तिमाही में यह बढ़ कर 6.07% हो गया है। यदि written off एवं तनावग्रस्त आस्तियों को जोड़ दें तो यह 12% तक हो सकता है।इसलिए सभी बैंकों को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। श्री एम के वर्मा , क्षेत्रीय निदेशक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि राज्य सरकार की ओर से एनपीए खातों में अधिक से अधिक उगाही के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी बैंकों को पूर्ण सहयोग दिया जाय।	सभी बैंक
कार्य सूची संख्या-४	**बर्तमान स्थिति**	**जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है**
वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि	इस विषय पर सेक्टरवार उपलब्धि पर चर्चा करते हुए एस एल बी सी ने बताया कि विगत वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में इस वर्ष सभी क्षेत्रों में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है तथा आनुपातिक आधार पर लक्ष्यों की उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष के दिसम्बर तिमाही से इस वित्तीय वर्ष के दिसम्बर तिमाही में काफी अधिक है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में सभी बैंकों के द्वारा 31.12.2015 तक कुल रुपए 19662.84 करोड़ का संवितरण किया गया है जो कि पिछले साल से रुपए 7338.54 करोड़ अधिक है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में ऋण संवितरण में 60% की वृद्धि हुई है। बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा आशा व्यक्त की गयी कि **ACP** 2015-16 के निर्धारित लक्ष्य को मार्च**,2016** तक प्राप्त कर किया	

	जाएगा।	

विषय	बर्तमान स्थिति	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
5.1. **कृषि क्षेत्रों में केसीसी रुपे कार्ड जारी करना**	सभी सामान्य के सी सी खातों को दि : 31.03.2013 तक Smart K.C.C खातों में परिवर्तित कर उन खातों मे आबश्यक तौर पर Rupay Card जारी कर देना था ,ताकि यह ए टी एम एवं पी ओ एस में भी कार्य कर सके। यह पाया गया है कि समस्त के सी सी धारकों को एक या अन्य कारणों से रुपे कार्ड जारी नही किया गया है।अब तक कुल 523880 रुपे कार्ड जारी किया गया है। (विवरण अनुलग्नक में संलग्न है).SLBC की कृषि उप समिति की दिनांक :11.01.16 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 31.03.16 तक सभी बैंकों के द्वारा 100% KCC खातों में रुपे कार्ड जारी कर दिया जाएगा |	समस्त बैंक
5.2. **(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग का वित्त पोषण(प्राथिमकता प्राप्त क्षेत्र)**	झारखंड में कुल एमएसएमई में माइक्रो सेक्टर क्रेडिट की हिस्सेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार 60% की बेंच मार्क के विरूद्ध दिसम्बर ,2015, में 50.62% है। झारखण्ड राज्य मे, 1 करोड़ की सीमा के अंदर कुल 286750 MSE ऋण खातें हैं,परंतु इनमे से केवल 75577 ऋण खातों में, यानी कि सिर्फ 26.36 % खातों में ही CGTMSE कवरेज लिया गया है | अतः सभी बैंकों को चाहिए की इस योजना के अंतर्गत पूर्ण कवरेज प्राप्त किया जाए।	**समस्त बैंक**
5.2.(**ख**) **"<u>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना</u>"**	श्री मिहिर कुमार , निदेशक, वित्त सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय , भारत सरकार ने मुद्रा से संबन्धित शिकायतों के शीघ्र निराकरण का निर्देश दिया। श्री एम के गुप्ता, महाप्रबंधक, एसएलबीसी, झारखंड ने बताया कि मुद्रा ऋण के आवेदनों पर शाखा स्तर पर काफी हुल-मुल रवैया अपनाया जा रहा है। आवेदन पत्रों को गलत कारण बता कर लौटाने या निरस्त करने की सूचना प्राप्त हो रही है।	**समस्त बैंक**

	इससे लोगों में काफी असंतोष है तथा इस योजना का लाभ योग्य लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। इसलिए उनहोंने सभी से आग्रह किया कि सभी शाखा प्रबंधकों को समुचित दिशा निर्देश दें।	
5.3 **<u>शिक्षा-ऋण</u>**	माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने सम्बोधन में राज्य के आदिवासी छात्रों को 4 लाख तक के शिक्षा ऋण को एक अभियान चला कर मुहैया कराने की सलाह दी। एसएलबीसी के महा प्रबंधक श्री मृत्युंजय कुमार गुप्ता ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का आश्वासन दिया कि सभी बैंक अगले शिक्षा सत्र से आदिवासी छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए एक campaign शुरू करेंगे।	समस्त बैंक
5.4 **<u>गृह-ऋण</u>**	गृह ऋण संवितरण पिछले वर्ष की तुलना में रु.4342.53 करोड़ से बढ़ कर रु. **4989.12** करोड़ हो गया है जो कि 646.59 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है। इस क्षेत्र में और अधिक ऋण संवितरण करने पर बल दिया गया। इस संदर्भ में भा. रि. बै. के क्षेत्रीय निदेशक श्री एम के वर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गृह निर्माण हेतु नक्शा पास करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त नहीं है, इसलिए बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में गृह-ऋण स्वीकृत करने में काफी कठिनाई होती है।गृह-ऋण संवितरण की मात्रा में कमी का एक मुख्य कारण यह भी है। राज्य सरकार की ओर से यह कहा गया कि ग्राम पंचायत को ग्राम-स्तर पर नक्शा पास करने के लिए अधिकृत किया गया है जिसकी विस्तृत कार्य योजना राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा रही है तथा इसकी अधिसूचना जल्द ही	समस्त बैंक/राज्य सरकार

	जारी कर दी जाएगी।	
5.5 ऋण लेने वालों की विशेष श्रेणी <u>हेतु ऋण प्रवाह</u> (5.5.1) अल्पसंख्यक के लिए ऋण	अल्पसंख्यक समुदाय को वितरित ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली गिरावट दर्ज की गयी है। इस पर सभी बैंकों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है।	समस्त बैंक
5.5.2 <u>महिलाओं के लिए ऋण प्रवाह</u>	इस वित्तीय वर्ष में समाप्त तिमाही दिसम्बर 2015 तक महिलाओं को संवितरित ऋण कुल ऋण का 21.33% है।	
5.5.3 <u>डी आर आई ऋण के लिए ऋण प्रवाह</u>	डी आर आई ऋण का संवितरण निर्धारित बजट का मात्र **0.06**% हुआ है जो कि अपेक्षित न्यूनतम बजट 1% से काफी कम है। एसएलबीसी महाप्रबंधक ने बैंकों से चालू वित्तीय वर्ष में कम से कम **0.50%** ऋण इस क्षेत्र में करने को कहा।सभी बैंक-प्रमुखों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की।	समस्त बैंक
5.5.4 <u>अनु.जा./अनु.जन.जाति के लिए ऋण प्रवाह</u>	इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह कुल ऋण का **19.29**% रहा है तथा इसमें पिछले वर्ष की तुलना में मामूली गिरावट दर्ज की गयी है।	
5.6 एस एच जी महिलाओं के वित्तपोषण हेतु योजना	एसएलबीसी के महाप्रबंधक श्री एम के गुप्ता ने सभा को सूचित किया कि पिछली तिमाही में बैंकों ने एसएचजी लिंकेज के क्षेत्र में काफी उत्कृष्ट कार्य किया है। सभी बैंकों को इसी गति के साथ क्रेडिट लिंकेज के कार्य को बरकरार रखते हुए अधिक से अधिक महिला समूहों को इससे जोड़ना चाहिए।उन्होने नाबार्ड तथा जेएसएलपीएस को भी इसके लिए धन्यवाद दिया। 09.02.2016 को आयोजित विशेष शिविर में भी काफी मात्रा	समस्त बैंक

	में क्रेडिट लिंकेज किए गए।	
5.7 एनआरएलएम(NRLM)	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की प्रगति की समीक्षा की गई।	

विषय	**बर्तमान स्थिति**	**जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है**
कार्य सूची संख्या – 6 **प्रधानमंत्री जनधन योजना** (PMJDY)	1) झारखंड सरकार के प्रधान सचिव श्री एन एन सिन्हा ने बैंक मित्रों के कार्य की समीक्षा करते हुए इस पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होनें **BC transaction** के घटते प्रतिशत पर असंतोष जताया। उन्होने रोजगार सेवक**, SHG** सदस्यों को भी बैंक मित्रों के रूप में नियुक्त करने की सलाह दी। उन्होने बताया कि पंचायत मुख्यालयों पर बैंक मित्रों के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा **wi-fi** की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पित तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में समन्वित प्रयास के द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त करने की सलाह दी। श्री मिहिर कुमार जी ने कहा कि सभी बैंकों को निश्चित रूप से सभी केन्द्रों पर **BCs** की नियुक्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। 2) श्री एम के वर्मा**,** क्षेत्रीय निदेशक**,** रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों से आग्रह किया कि 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों में 137 बैंक शाखाओं को 31.03.2017 तक खोलने के प्रस्ताव को काफी गंभीरता से लें एवं इस प्रक्रिया को हर हाल में निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा करें।	समस्त बैंक
एनपीए एवं वसूली	झारखंड राज्य में एनपीए की स्थिति काफी चिंताजनक है तथा वर्ष-दर-वर्ष इसमें तीव्र गति से बढ़ोतरी हो रही है।पिछली तिमाही दिसम्बर ,2015 को सकल NPA कुल अग्रिम का 6.07% था जो काफी अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री एम के वर्मा ने इस पर काफी चिंता व्यक्त की तथा एनपीए का प्रतिशत हर हाल में कम करने का निर्देश दिया। इसके लिए SARFAESI एक्ट एवं सर्टिफिकेट केस के तहत दर्ज मामलों का निपटारा त्वरित रूप से करने पर ज़ोर दिया। उनहोंने बताया कि DLCC की सभाओं में भी चर्चा कर इसका समाधान ढूढा जाना चाहिए। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इनसे संबन्धित काफी मामले लंबित हैं एवं इनके निपटारे की गति काफी धीमी है।	**समस्त बैंक** **सभी बैंक/** **राज्य सरकार**

	एसएलबीसी के महा प्रबंधक श्री एम के गुप्ता ने राज्य सरकार के प्रतिनिधियों तथा तथा बैंकों के द्वारा संयुक्त रूप से वसूली शिविर लगाने की सलाह दी। श्री अमित खरे, प्रधान सचिव, आयोजना एवं वित्त विभाग, झारखंड सरकार ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की।	
कार्य सूची संख्या-8 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)	चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि राज्य में KVIC द्वारा PMEGP लाभूकों के लिए अनिवार्य EDP प्रशिक्षण हेतु समुचित व्यवस्था नहीं की गयी है। इससे बैंकों द्वारा PMEGP ऋण स्वीकृति के पश्चात ऋण संवितरण में कठिनाई हो रही है। इसलिए EDP के तहत सभी लाभूकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था राज्य सरकार के स्तर से करने की आवश्यकता है ताकि ऋण संवितरण में कोई रुकावट नहीं हो।	राज्य सरकार।
कार्य सूची संख्या-9 **वित्तीय साक्षरता केन्द्रों का संचालन**	बैठक में इस बात की चर्चा की गयी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वित्तीय साक्षरता केन्द्रों का महत्व काफी बढ़ गया है। यह आम जनों में बैंकिंग सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा। इस लिए इसका संचालन सभी बैंकों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके जरिये सभी mapped skilling centres एवं schools में वित्तीय साक्षारता कैंप लगा कर बैंकिंग सेवाओं का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए तथा इसकी रिपोर्ट एसएलबीसी को निहित प्रारूप में की जानी चाहिए।	समस्त बैंक

कार्य सूची संख्या-11 **<u>विविध कार्यसूची</u>** 1. विगत दिनों में झारखण्ड राज्य के अंदर, बैंकों में धोखाधड़ी (FRAUD) की संख्या में वृद्धि हुई है, पर कई एक बार देखा जाता है की ,धोखाधड़ी (FRAUD) से संबन्धित सूचना प्राप्त होने पर , पुलिस थानों में F.I.R दर्ज करवाने में बैंकों के प्रबंधन को कठिनाई का सामना करना पड़ता है | झारखण्ड सरकार से यह आग्रह है कि इस विषय पर पुलिस विभाग को दिशानिर्देश दिया जाए, जिससे थानों में बैंक प्रवंधन को अपेक्षित सहायता प्राप्त हो | (प्रस्तावक: बैंक ऑफ़ इंडिया)	झारखंड सरकार ने सूचित किया कि ऐसी किसी भी घटना का पूर्ण संज्ञान लिया जाता है।	
2. झारखण्ड राज्य में WEAVERS CREDIT CARD के संवितरण में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नही हो पा रहा है , झारखण्ड सरकार के हस्तकरघा विभाग से आग्रह है कि वे बैंकों को प्रस्तावित लाभुकों की सूची उपलब्ध करवाएं एवं ताकि बैंकों के द्वारा बुनकरों को WCC उपलब्ध करवाया जा सके SLBC एवं नाबार्डसे आग्रह है कि वें WCC संवितरण कीगहन MONITORING करें | (प्रस्तावक: नाबार्ड)	राज्य सरकार के सम्बद्ध विभाग से आवेदकों कि जिलावर/बैंकवार सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।	**राज्य सरकार**
3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रवर्तित Empowered Committee on MSME द्वारा नियमित रूप से हर एक तिमाही में राज्य के अंदरदिए गए MSME ऋण की गहन समीक्षा की जाती है एवं SLBC की MSME उप समिति एवं RBI की EMPOWERED COMMITTEE के सदस्य भी एक ही है, जिसे देखते हुए RBI की EMPOWERED COMMITTEE की बैठक को ही SLBC उप समिति की मान्यता दी जाए | (प्रस्तावक: भारतीय रिज़र्व बैंक)	बैठक में चर्चा के बाद Empowered Committee on MSME को SLBC कि उप समिति के रूप मान्यता दिये जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया।	**एसएलबीसी/RBI**
4. वित्तीय साक्षरता केंद्र के संचालन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देश, जिसे सभी बैंकों को SLBC द्वारा भेजा जा चुका है, को		

झारखण्ड राज्य में संवंधित बैंकों के द्वारा शुरुआत किया जाय | (प्रस्तावक: भारतीय रिज़र्व बैंक)		
5. माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आर्डर संख्या – W.P (C) No.-494 of 2012 , dt.-11.08.15 एवं 15.10.15 के आलोक में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार (कॉपी संलग्न) आधार कार्ड का व्यवहार एवं बैंक खातों में आधार संख्या का seeding को पूरी तरह से ऐच्छिक रखा जाय एवं कभी भी अनिवार्य न किया जाय | (प्रस्तावक: भारतीय रिज़र्व बैंक)	सभी बैंक प्रमुखों ने इसके प्रावधानों को लागू करने पर आम सहमति बनाई।	**समस्त बैंक**
6. झारखण्ड सरकार से आग्रह है कि विगत दिनों में उनके द्वारा शुरू किए गए गो-पालन , ई-रिक्शा इत्यादि पर अनुदान योजना एवं इनकी बैंकों से संबद्धता के संवंध में बैंकों को विस्तृत दिशानिर्देश उपलब्ध कराएँ | (प्रस्तावक- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)	सभी बैंक प्रमुखों ने इसके प्रावधानों को लागू करने पर आम सहमति बनाई।	**समस्त बैंक**
7. झारखण्ड सरकार से आग्रह है कि उत्तर-प्रदेश सरकार के तर्ज पर certificate case से संवंधित एक पोर्टल शुरू किया जाय , जिस पर सभी case की दाखिला से लेकर निदान तक सभी प्रासंगिक सूचना उपलब्ध हो| (प्रस्तावक: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)		
8. भारतीय रिज़र्व बैंकMASTER CIRCULAR ON LEAD BANK SCHEME, Dt. – 1.07.15 के आलोक में, "वित्तीय समावेशन" पर मुख्य महा प्रवंधक , नाबार्ड के अध्यक्षता में SLBC कि एक उप-समिति का गठन किया जाय एवं यह उप-समिति राज्य के अंदर वित्तीय समावेशन से संवंधित सभी मुद्दों का नियमित रूप सेसमीक्षा करें | (प्रस्तावक- नाबार्ड)	राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने अपने IT विभाग से विचार विमर्श के बाद इस पर उचित निर्णय लेने की बात कही। बैठक में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गयी एवं यह निर्णय लिया गया कि चूंकि वित्तीय समावेशन से संबन्धित विषयों पर अन्य उप-समितियाँ पहले से ही गठित हैं, इसलिए इनके माध्यम से	**राज्य सरकार** **राज्य सरकार**

	प्रस्तावित विषय का ध्यान रखा जा सकता है। ज़्यादातर सहभागियों द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि अभी वित्तीय समावेशन पर एक और नयी उप समिति की आवश्यकता नहीं है इसलिए इस प्रस्ताव की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	

सभा के अंत में श्री अमित सिन्हा, उप-महाप्रबंधक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माननीय मुख्य मंत्री, सभी गणमान्य अतिथियों एवं प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। तत्पश्चात एसएलबीसी के महाप्रबंधक श्री एम के गुप्ता ने सभी का धन्यवाद करते हुए सभा समाप्ति की घोषणा की।